


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 283]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

परिधानों के निर्यात पर राज्य लेवियों में छूट की योजना

फा. सं. 12020/03/2016-आईटी.—वस्त्र मंत्रालय, एतद्वारा परिधानों के निर्यात पर राज्य लेवियों में छूट की योजना के संबंध में दिनांक 12 अगस्त, 2016 की इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12020/03/2016-आईटी में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

दावाकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान/वसूली और विवाद के निपटान संबंधी खंड 7 में उपखंड 7.2 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

“7.3 वसूली की प्रक्रिया: सीबीईसी के अधिकारी द्वारा आरओएसएल योजना के पैरा 7 के तहत निर्यातक को पत्र जारी किया जाएगा; (i) वापस भुगतान की जाने वाली छूट की राशि और उस तारीख के बारे में सूचना देना जिस तारीख से उस पर ब्याज देय है; और (ii) वस्त्र मंत्रालय के लेखा शीर्ष में 30 दिन के अंदर पूरी राशि जमा करने और उक्त पत्र जारी किए जाने की तारीख से 60 दिन के अंदर वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में राशि जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक से अनुरोध करना; और (iii) यह सूचित करना कि समायोजित की जाने वाली ऐसी किसी शेष राशि की वसूली वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

इस पत्र की एक प्रति वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

7.4 जहां निर्यातक से छूट की कोई राशि और/अथवा ब्याज की कोई राशि देय हो वहां वस्त्र आयुक्त निर्यातक द्वारा देयराशि का उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने के लिए उसे जिले के संबंधित कलैक्टर को भेजा जाएगा।

7.5 इसके बाद योजना के संबंध में उठने वाले अन्य मुद्दों पर सचिव, वस्त्र मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।”

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2016

SCHEME FOR REBATE OF STATE LEVIES ON EXPORT OF GARMENTS

F.No.12020/03/2016-IT.—Ministry of Textiles hereby makes the following amendments in the Notification of the Ministry of Textiles No.12020/03/2016-IT, dated 12th August, 2016 regarding Scheme for Rebate of State Levies on Export of Garments, namely-

In clause 7 relating to repayment by claimant/recovery and dispute resolution after sub-clause 7.2 the following shall be inserted:

“7.3 The procedure for recovery : Officer of CBEC shall issue a letter to exporter under Para 7 of ROSL Scheme ; (i) informing the rebate amount to be paid back and the date from which interest thereon is due, and (ii) requesting the exporter to deposit the full sum within 30 days in the account head of Ministry of Textiles and submit proof of deposit to office of the Textile Commissioner within 60 days of date of issue of the said letter, and (iii) informing that any such amount remaining to be reconciled would be recovered by the Textile Commissioner

A copy of this letter shall be endorsed to the office of the Textile Commissioner.

7.4 Where any amount of rebate and/or interest remains due from the exporter, the Textile Commissioner shall prepare and sign a certificate specifying the amount due from the exporter and send it to the concerned Collector of the district to recover that amount as if it were arrears of land revenue.

7.5 Residual issues related to the Scheme arising subsequently shall be considered by Secretary, Ministry of Textiles whose decision shall be final and binding.”

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.